न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 169/2018

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

शक्तिसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति राजपूत
निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर। तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–
1. श्री अर्जुनदास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.12.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 317/2017 सरकार बनाम शक्तिसिंह में निर्णय दिनांक 22.09.2017 के तहत मौजा भाकरोद के खसरा नं. 173 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.07.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.07.2018 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 317/17 के फर्द अहकाम दिनांक 5.9.17 से 22.9.17 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 22.09.17 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायायलय मे प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा नायब तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 598/80 सरकार बनाम कानसिंह के निर्णय दिनांक 26.12.80 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने दिनांक 19.9.17 को अपना उतर शपथ पत्र व नायब तहसीलदार नागौर के निर्णय राजस्व प्रकरण सं. 598/80 दिनांक 26.12.80 अपीलांट के काका कानसिंह पुत्र फतेहसिंह के पक्ष मे नियमन की सिफारिश की पेश की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पेशी नही देकर कहा कि फैसला कर देगे तब अपीलांट निश्चित हो गया, फिर पटवारी भाकरोद ने अपीलांट को उक्त बाडे से बेदखल करने के बारे मे कहा तब दिनांक 6.7.18 को आकर नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 9.7.18 को नकल तैयार हुई तथा दिनांक 10.7.18 को नकल प्राप्त होने पर अपील तैयार कर दिनांक 13.7.18 को प्रस्तुत की गई। जिससे न्याय हित मे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, गैर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये ही मनमाने तरीके से निर्णय कर बेदखली की कार्यवाही गलत की है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अप्रार्थी अपीलांट द्वारा जवाबदावा व शपथ पत्र देना स्वीकार करता है तथा यह भी स्वीकार करता है कि नायब तहसीलदार नागौर ने अपने आदेश प्रकरण सं. 598/80 दिनांक 26.12.80 मे इसी खसरे के 6.05 बीघा अपीलांट के दादा कानसिंह पुत्र फतेहसिंह के नाम पुरानी गिरदावरी व गवाहान के बयानो से अपीलांट का कब्जा 2028 से पाया जाता है तथा यह भी उस निर्णय मे माना है कि पुराना कब्जा भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होने से तथा कानसिंह भूमिहीन होने से परिपत्र दिनांक 14.4.77 के अनुसार नियमन हो सकता है एवं यह मानकर सलाहकार समिति के अध्यक्ष

अपर कलक्टर, नागौर

नियमन हेतु प्रेषित किया था। तब क्या अधीनस्थ न्यायालय मे अपने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के कार्यालय से उक्त पत्रावली को तलब नही कर सकते थे तथा उस पत्रावली पर अब तक क्या आदेश पारित हुए है। इस बिन्दु पर गरीब किसानो के हित मे न्याय हेतु तलब करनी चाहिये थी या फिर अपीलांट को ही ऐसी पत्रावली पर हुए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु पेशी आगे दी जाकर निर्देश दे सकते थे। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रूटीन मे बेदखली के आदेश प्राकृतिक मूलभूत न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना करते हुए आदेश पारित किये है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–कानसिंह के चार भाई और थे एवं 1980 मे शामिल रहते थे। इसलिये पटवारी ने केवल उनके अकेले के विरूद्व कार्यवाही कर बाद जांच उनके पक्ष मे नियमन करने की सिफारिश की थी। परंतु उसने यह माना है कि कानसिंह के बंट मे शामलाती भूमि मे से केवल 5 बीघा भूमि ही बंट मे आती है। इसलिये यह भूमिहीन मानते हुए नियमन की सिफारिश की है। ऐसी सूरत मे गरीब भूमिहीन किसान का कब्जा विवादित भूमि पर संवत 2028 से साबित होने से राजकीय परिपत्र दिनांक 14.4.77 के अनुसार नियमन किया जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल करने का आदेश गलत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–विवादित भूमि ऐसी भूमि नही है जो अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय से बाधित हो। क्योकि उस निर्णय मे केवल गोचर, नाडी, अंगौर, रास्ता, श्मशान भूमि ही नियमन योग्य नही माना है। यह भूमि गै.मु. मगरा है जो नियमन किया जा सकता है एवं राजकीय परिपत्र दिनांक 14.4.77 मे स्पष्ट रूप से ऐसी भूमि भूमिहीन काश्तकार के पक्ष मे नियमन की जा सकती है।

{2}(VI)–खसरा नं. 173 रकबा 6.5 बीघा पर कानसिंह पुत्र फतेहसिंह का कब्जा गिरदावरी व पडोसियो की शहादत से संवत 2028 से लगातार साबित है। भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होने से पडोस की भूमि की किस्म बी–3 करने हेतु सिफारिश की है तथा गरीब भूमिहीन काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से अपीलांट के पक्ष मे साबित है तथा अप्रार्थी अपीलांट का कब्जा उक्त भूमि पर लगभग 50 वर्षो से होने से उस पर पायगा वगैरा चारा फूस डालने की जगह होने से अन्य बाडा नही होने से यदि दौराने सुनवाई अपील अपीलांट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी मुआवजा से पूर्ति नही की जा सकती है। सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है। ऐसी सूरत मे ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित रखी जाना निहायत जरूरी है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भाकरोद में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भाकरोद के खसरा नंबर 173 गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। जो राजकीय स्वामित्व की भूमि है। जहां तक नियमन सिफारिश दिनांक 26.12.80 का प्रश्न है, उक्त प्रकरण का अभी तक निस्तारण नही हुआ हो तथा उपखण्ड अधिकारी/सलाहकार समिति के यहां प्रकरण विचाराधीन हो, ऐसा भी कोई दस्तावेजी आधार नही है। नियमन से संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये पृथक से कार्यवाही हेतु अपीलांट स्वतंत्र है। मौजूदा राजस्व रेकर्ड के अनुसार आराजी भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट का अनाधिकार कब्जा होना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर,
नागौर